

शंकरलाल बनाम सोहनलाल व अन्य
प्र०सं०-: 35/2023(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-10/11/2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 35/2023 रे.वाद

दायर दिनांक - 08/08/2023

निर्णय दिनांक - 10/11/2025

अनवान

- 1 शंकरलाल पिता रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोडियाखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।

—वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोडियाखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-


वादी की ओर से - श्री लुम्ब सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से -

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया वादी एवं प्रतिवादी कि भूमि राजस्व ग्राम मोडियाखेडा पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 153, 154 कुल किता 02 कुल हैक्टेयर 1.2300 हैक्टेयर भूमि स्थित है मौके पर भूमि बटी हुई होकर, हिस्से एवं शामलाती रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त आराजी नम्बर में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-



20/11/25
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

शंकरलाल बनाम सोहनलाल व अन्य
प्र०सं०-: 35/2023(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-10/11/2025

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा
1.	शंकरलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	153/2 154/2	0.2750 0.3150
	योग	किता-02	0.5900
2.	सोहनलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	153/3 154/3	0.2750 0.3150
	योग	किता-02	0.5900
3	शंकरलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार सोहनलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	153/1 154/1	0.0400 0.0200
	योग	किता-02	0.0600

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



दिनांक 10/11/25
(मोहकम सिंह कृष्णसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर, राजसमन्द
जिला राजसमन्द

शंकरलाल बनाम सोहनलाल व अन्य
प्र०सं०—: 35 / 2023(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:—10 / 11 / 2025
अंतिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इत्तादाई
मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- मोहकम सिंह सिनसिनवार आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या :-35 / 2023
अनवान

- 1 शंकरलाल पिता रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोडियाखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।

—वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोडियाखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री लुम्ब सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से -

में इस आशय मे दिनांक 10 / 11 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी कि भूमि राजस्व ग्राम मोडियाखेडा पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 153, 154 कुल कित्ता 02 कुल हैक्टेयर 1.2300 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त आराजी नम्बर में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

शंकरलाल बनाम सोहनलाल व अन्य
प्र०सं०-: 35 / 2023(रि०वाद)
निर्णय दिनांक:-10 / 11 / 2025

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकवा
1.	शंकरलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	153 / 2 154 / 2	0.2750 0.3150
	योग	किता-02	0.5900
2.	सोहनलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	153 / 3 154 / 3	0.2750 0.3150
	योग	किता-02	0.5900
3	शंकरलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार सोहनलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	153 / 1 154 / 1	0.0400 0.0200
	योग	किता-02	0.0600

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



21/10/25
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
द्वितीय, जिला समन्त